संख्या-18/2015/1512/49-1-2015-06(25)/15

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 01 सितम्बर, 2015

विषय- गैर लाइसेंस जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त किये जाने की अर्हता पूर्ण किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्रांक-1884/अधि-1/डी0सी0बी0 लाइसेंस/बजट 2015-16 दिनांक 20 अगस्त, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु अधिकोषण योजना के अन्तर्गत गैर लाइसेंस जिला सहकारी बैंको को भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करने हेतु ऋण मद में प्राविधानित धनराशि रू0 5,65,14.00.000/- में से अवशेष धनराशि रू0 1,73,62,00,000/- (रूपये एक अरब तिहत्तर करोड़ बासठ लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

(क) उक्त धनराशि का आहरण/व्यय से पूर्व भारत सरकार, राज्य सरकार एवं नाबार्ड के मध्य हस्ताक्षरित(एम0ओ0यू0) की शर्तो एवं योजना के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ख) वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-03-2015 की सुसंगत व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-6425-सहकारिता के लिये कर्ज-आयोजनेत्तर-800-अन्य कर्ज-05-अधिकोषण योजना के अन्तर्गत गैर लाइसेंस जिला सहकारी बैंको को भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करने हेतु ऋण-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-यू0ओ0-833/दस-2015 दिनांक 28 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-18/2015/1512(1)/49-1-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, विपिनखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6- मुख्य महाप्रबन्धक, राष्टीय कृषि और ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, सहकारिता विभाग, लखनऊ।
9- वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/बजट अनुभाग-2/सहकारिता अनुभाग-3
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डी0 के0 शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।